मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग–म.प्र. शासन)
द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल, भोपाल (मध्यप्रदेश) पिन–462011
फोन – 0755-2570442, 2570431 फैक्स : 0755-2556619

क्रमांक / F-CST-03 /ART/Drugs /2020 / 267 भोपाल, दिनांक 11 /02 / 2020

प्रति,

समस्त नोडल अधिकारी
एआरटी केन्द्र, मध्यप्रदेश

विषयः–एआरटी व ओआई की दवाओं का स्टॉक संधारण, मासिक प्रतिवेदन व भौतिक सत्यापन बाबत्।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित एआरटी केन्द्रों को दवाओं का आवंटन मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी किया जाता है, इसके साथ ही ओ.आई. की दवाओं का क्रय एआरटी केंद्र स्तर से किया जाता है। इन दवाओं के स्टॉक संधारण, मासिक प्रतिवेदन व भौतिक सत्यापन के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

1. **दवाओं की मांग** : एआरटी केन्द्रों में दवाओं का 03 माह का स्टॉक होना चाहिए। यदि स्टॉक इससे कम होता है तो, उसकी मांग 01 माह पूर्व भेजी जावे। यदि स्टॉक 01 माह या उससे कम का शेष रहे तो दैनिक आधार पर दूरभाष, ई–मेल पर राज्य कार्यालय को जानकारी दी जावे।
2. **दवाओं की स्टॉक एंट्री** : राज्य कार्यालय या अन्य केन्द्रों से जब भी दवाएं प्राप्त होती है तो उनकी गिनती कर उसी दिन दवाओं की **एंट्री ड्रग स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की जावे।** साथ ही दवा प्राप्ति के चालान की एक प्रति पर हस्ताक्षर, सील लगाकर डाक/दवा लेकर आने वाले वाहन चालक से राज्य कार्यालय को भेजें व ई–मेल पर सूचना संबंधित केन्द्र को/राज्य कार्यालय को दें।
   - i. एआरटी केन्द्र से वितरित होने वाली **दवाओं की एंट्री ड्रग डिस्पेंसिंग रजिस्टर व स्टॉक रजिस्टर में प्रतिदिन करें।**
   - ii. वितरित दवाओं की एंट्री को आई.एम.एस., ड्रग डिस्पेंसिंग रजिस्टर एवं ड्रग स्टॉक रजिस्टर में दर्ज रेज़िम व वितरित संख्या से क्रास चेक किया जावे।
   - iii. ए.आर.टी. से सम्बद्ध लिंक ए.आर.टी. केन्द्रों पर वितरित होने वाली दवाओं का विवरण आई.एम.एस. में लिंक ए.आर.टी. केन्द्र द्वारा स्वयं भरा जावे या नोडल ए.आर.टी. द्वारा फिक्स डेट पर **प्रत्येक माह की 26 से 30 तारीख के मध्य आवश्यक रूप से एण्ट्री की जावे।**
3. **एआरटी दवाओं का रिलोकेशन व प्राप्ति** : नाको, राज्य कार्यालय व ए.आर.टी. केन्द्रों से दवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मांग व नज़दीकी एक्सपायरी के आधार पर भेजा जाता है। जब भी दवाओं के रिलोकेशन के निर्देश दिए जावें, तत्काल दवाओं को रिलोकेट करें व दवाओं के रिलोकेशन का चालान तीन प्रतियों में बनायें। प्रथम प्रति उस केंद्र पर रहेगी जहां से दवा भेजी जा रही है, द्वितीय व तृतीय प्रति दवाओं के साथ भेजी जावेगी, जिसमें से द्वितीय प्रति जहां दवा भेजी गई है उस केन्द्र द्वारा रख ली जावेगी व तृतीय प्रति पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, केन्द्र की सील लगाकर डाक द्वारा वापिस, दवा भेजने वाले केंद्र को भेज दी जावेगी। यही प्रक्रिया मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा भेजी गई दवाओं पर लागू होगी।

   रिलोकेशन के लिए भेजे गए ईमेल का प्रिंट निकालकर रखा जावे। दवाओं का रिलोकेशन टी.सी.आई. के माध्यम से करें या ए.आर.टी. केन्द्र द्वारा डाक से दवायें भेजे जाने पर व्यय होने वाली राशि एआरटी केन्द्र की ऑपरेशनल कास्ट से ली जावे।
4. **एक्सपायर होने वाली दवाओं की सूचना** : एआरटी केन्द्र पर कोई भी दवा एक्सपायर नहीं होना चाहिए, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी फार्मासिस्ट की है। यदि कोई दवा आगामी 6 माह में एक्सपायर होने वाली है, और केन्द्र पर उस दवा के उपलब्ध स्टॉक का पूर्ण उपयोग एक्सपायर होने के पूर्व नहीं हो पाएगा तो इसकी पूर्व सूचना 6 माह पूर्व ही, राज्य कार्यालय को दी जावे साथ ही ए.आर.व्ही. ड्रग की मासिक रिपोर्ट में जानकारी भेजी जावे, ताकि अतिरिक्त दवा अन्य स्थान पर भेजी जा सके। जब तक अतिरिक्त दवा एआरटी केन्द्र से अन्य केन्द्र नहीं भेज दी जाती तब तक फार्मासिस्ट, राज्य कार्यालय से सतत संपर्क करते रहेंगे।

5. **दवाओं का भौतिक सत्यापन** : एआरटी केन्द्र में उपलब्ध सभी दवाओं, कंज्युमेबल्स का भौतिक सत्यापन, एआरटी केन्द्र में दो या तीन सदस्यीय टीम द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में (10 जनवरी, 10 अप्रैल, 10 जुलाई, 10 अक्टूबर तक या उसके पूर्व) किया जावे व इसका प्रतिवेदन SMO/MO के हस्ताक्षर के बाद नोडल अधिकारी से सत्यापित कर मूल प्रति में डाक से राज्य कार्यालय को भेजा जावे। भौतिक सत्यापन का प्रपत्र संलग्न है।

   उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करे व इनके पालन की पूर्ण जिम्मेदारी फार्मासिस्ट की होगी। फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति मे स्टॉफ नर्स जिम्मेदार होगी व वरिष्ठ चिकत्सा अधिकारी उक्त पूर्ण प्रक्रिया के पालन के लिए उत्तरदायी होंगे।

6. राज्य कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण में यह पाया गया है कि कतिपय ए.आर.टी. केन्द्रों द्वारा उनसे सम्बद्ध लिंक ए.आर.टी. केन्द्रों को जारी की गयी ए.आर.टी. की दवाओं का "Sub Stock Register" संधारित नहीं किया गया है। इसके साथ ही लिंक ए.आर.टी. केन्द्रों को दी गयी दवाईयों की पावती/चालान भी नहीं प्राप्त किये गये हैं, जिससे भौतिक सत्यापन के दौरान दवाओं का स्टॉक, स्टॉक रजिस्टर से मैच नहीं हो रहा है। अतः लिंक ए.आर.टी. केन्द्रों को भेजी गयी दवाओं के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेः–

   i. लिंक ए.आर.टी. केन्द्रों को भेजी जाने वाली दवाओं की पावती निर्धारित चालान पर प्राप्त कर फाईल में संधारित की जावे।
   ii. सभी ए.आर.टी. केन्द्रों द्वारा लिंक ए.आर.टी. केन्द्रों के लिए एक पृथक "Sub Stock Register" बनाया जावे।
   iii. लिंक ए.आर.टी. केन्द्रों को भेजी गयी दवाओं का विवरण "Sub Stock Register" में दर्ज किया जावे।
   iv. लिंक ए.आर.टी. केन्द्रों द्वारा माह में वितरित की गयी दवाओं (Consumption) की जानकारी प्राप्त कर उसे ए.आर.टी. ड्रग स्टॉक रजिस्टर में प्रत्येक माह के अन्त में अनिवार्य रूप से दर्ज करें।
   v. लिंक ए.आर.टी. द्वारा माह में वितरित की गयी दवायें ही नोडल ए.आर.टी. के स्टॉक से घटाई जावेंगी। लिंक ए.आर.टी. के पास शेष दवायें नोडल ए.आर.टी. के स्टॉक के साथ जोड़कर ही मासिक ड्रग स्टॉक रिपोर्ट में भेजी जानी चाहिए।
   vi. प्रत्येक तिमाही के अन्त में निर्धारित प्रपत्र में भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करें।

   कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें।

(राकेश मुंशी)
अपर परियोजना संचालक
मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

पृ.क्र./F-CST-03 /ART/Drugs/2020/268 भोपाल, दिनांक 11/02/2020

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर।
2. उप संचालक (एम. एण्ड ई.), स्थानीय कार्यालय की ओर समिति की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–खण्डवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, सिवनी, शिवपुरी, बालाघाट, खरगौन।
4. संचालक, आर.डी. गार्डी. चिकित्सा महाविद्यालय, उज्जैन।

अपर परियोजना संचालक
मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति